2026:CGHC:26268

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–5678/2026

- इकबाल खान पिता–लतिफ खान, उम्र–लगभग 33 वर्ष, निवासी–वार्ड संख्या 20, टेकरीपारा, डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

-----आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना–बोरतालाब, जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादी/राज्य

आवेदक/अभियुक्त द्वारा	:	श्री शोभित कोष्टा, अधिवक्ता।
राज्य/उत्तरवादी द्वारा	:	श्री रोहितास्व सिंह, उप शासकीय अधिवक्ता।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

!! आदेश पीठ पर पारित !!

29/06/2026

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत इस आवेदन में पुलिस थाना–बोरतालाब, जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के अपराध क्रमांक–27/2025, अंतर्गत धारा 103(1), 238, 3(5) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

के प्रकरण में जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसका जमानत आवेदन विचारण न्यायालय——अपर सत्र न्यायाधीश, डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक–21/2025 में आदेश दिनांक 16/09/2025 के माध्यम से निरस्त किया जा चुका है ।

2. अभियोजन मामला, संक्षेप में, इस आशय का है कि सह–अभियुक्त खिलावन वर्मा के भतीजे जितेन्द्र वर्मा की वर्ष 2016 में आलोक उर्फ मिन्टू द्वारा हत्या कर दी गई थी । उक्त प्रकरण में आलोक उर्फ मिन्टू लगभग दो वर्ष पश्चात् जेल से रिहा होकर बाहर आ गया था तथा इसके पश्चात वह सह–अभियुक्त खिलावन वर्मा को निरंतर चिढ़ाता एवं प्रताड़ित करता था । इसी कारणवश, सह–अभियुक्त खिलावन वर्मा व अजहर उर्फ विक्की ने आवेदक/अभियुक्त इकबाल खान के साथ मिलकर आलोक उर्फ मिन्टू की हत्या करने की योजना तैयार की । योजना के अनुसार दिनांक 05/06/2025 को बहाने से आलोक उर्फ मिन्टू तथा उसके साथी सूरज कुमार सेन (मृतक) को कार में बैठाकर ले गये, जहाँ हाथ–मुक्के, पत्थर, लोहे के पाइप, स्टील के चुड़े आदि से गंभीर रूप से मारपीट की गई, जिसके परिणामस्वरूप सूरज कुमार सेन की मृत्यु हो गई तथा उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया । पश्चात् में अज्ञात शव प्राप्त होने पर पुलिस थाना–बोरतालाब, जिला–राजनांदगांव में दिनांक 06/06/2025 को मर्ग कायम की गई । शव का परीक्षण कराया गया । विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त का मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किया गया, जिसके आधार पर उसकी निशानदेही से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया । सह–अभियुक्त खिलावन वर्मा की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त कथित कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, हाथ का स्टील का कड़ा (चूड़ा), लोहे का पाइप, कार से अन्य रक्तरंजित वस्तुएँ, राख एवं सह–अभियुक्त अजहर उर्फ विक्की की निशानदेही से मोटरसाइकिल

बरामद की गईं । इसके अतिरिक्त, संयुक्त रूप से रक्तरंजित कपड़े एवं जूते जलाए जाने से प्राप्त राख भी बरामदगी की गई । आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया ।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अभियोजन का संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जिसमें अभियुक्त के मेमोरण्डम कथन के आधार पर मोबाईल एवं संयुक्त रूप से कपड़े वगैरह की जब्तियाँ की गई हैं, किंतु रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से उक्त जब्तियों का आवेदक/अभियुक्त के कथित अपराध से कोई प्रत्यक्ष अथवा सीधा संबंध स्थापित नहीं होता है । यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 11/06/2025 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है । अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल 28 साक्षियों में से अब तक केवल 12 साक्षियों का परीक्षण किया जा सका है । विचारण में समय लगने की संभावना है । आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है । अतः उसे जमानत पर छोड़ा जाये ।

4. उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं । घटना में आवेदक/अभियुक्त की भी भूमिका रही है तथा उसके मेमोरण्डम कथन के आधार पर मोबाईल फोन तथा रक्तरंजित कपड़े एवं जूते जलाए जाने से प्राप्त राख भी बरामदगी की गई है । यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त पर एक अन्य हत्या किए जाने का आरोप भी एक पृथक प्रकरण में लंबित है, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्य तथा समाज पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए,

2026:CGHC:26268

आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है । सह–अभियुक्त खिलावन का जमानत आवेदन निरस्त किया जा चुका है । अतः, आवेदक/ अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया जाये ।

5. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया तथा अभिलेख व केस डायरी का परिशीलन किया गया ।

6. अभिलेख के समग्र परिशीलन एवं पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध कथित घटना दिनांक 10/06/2025 के संबंध में एक अन्य व्यक्ति की भी हत्या किए जाने का आरोप, एक पृथक प्रकरण में है । सह–अभियुक्त खिलावन वर्मा का मामला अभियुक्त/आवेदक इकबाल खान से भिन्न नहीं है । इस प्रकार, संपूर्ण अभिलेखगत सामग्री एवं प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक का मामला जमानत प्रदान किए जाने योग्य नहीं पाया जाता ।

7. अतः आवेदक/अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है ।

8. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन